न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42/2025 प्रा.पत्र/2025	21.05.2025	04.07.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी निवासी ग्राम बमोर तह. व जिला टोंक एफ. बी.ओ. मैससै अक्षय ट्रेडिंग कम्पनी बनेठा रोड बमोर तह. व जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 7665933892
2–मैससै अक्षय ट्रेडिंग कम्पनी बनेठा रोड बमोर तह. व जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001
3–श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स त्रिलोकी नाथ गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स त्रिलोकी नाथ गुप्ता श्याम ट्रांसपोर्ट के पास मोतीबाग रोड बडा कुंआ टोंक राज.। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9571454774
4–मैसर्स त्रिलोकी नाथ गुप्ता श्याम ट्रांसपोर्ट के पास मोतीबाग रोड बडा कुंआ टोंक राज.। पिनकोड–304001
5–श्री योगेश मालपानी पुत्र श्री ईश्वर मालपानी निवासी एम–40, महेश कॉलोनी, लक्ष्मी मन्दिर के पास, टोंक फाटक, जयपुर राज. नॉमिनी मैसर्स माहेश्वरी ब्लेण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी–1, 35/36 उद्योग विहार जैतपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–303704
6–मैसर्स माहेश्वरी ब्लेण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी–1, 35/36 उद्योग विहार जैतपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–303704

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण स्वयं उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 04/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2024 को समय दोपहर 10:20 पी.एम. पर मैसर्स अक्षय ट्रेडिंग कम्पनी बनेठा रोड बमोर तह. व जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अक्षय ट्रेडिंग कम्पनी बनेठा रोड बमोर तह. व जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी को अपना परिच्रय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. /मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ रैक में लगभग 10–12 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **धनिया पावडर (रिचा ब्राण्ड)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (रिचा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 06 एवं पैकिंग की दिनांक 05/2024 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (रिचा ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों 1–1 पैक को कागज के गत्ते के चार डिब्बों में रखकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4098 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4098 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री पन्ना लाल सैनी एफ.बी.ओ. मैससै अक्षय ट्रेडिंग कम्पनी बनेठा रोड बमोर तह. व जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स त्रिलोकी नाथ गुप्ता श्याम ट्रांसपोर्ट के पास मोतीबाग रोड बडा कुंआ टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया एवं मैसर्स त्रिलोकी नाथ गुप्ता ने मैसर्स मैसर्स माहेश्वरी ब्लेण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी–1, 35/36 उद्योग विहार जैतपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/1466 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /4332/एक्ट/2024/4182 दिनांक 04.11.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (रिचा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों पर अन्तर होने की वजह से उक्त नमूना अवमानक स्तर स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (रिचा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (रिचा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक